दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

Social Justice Union Govt. Registered

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, रविवार 12 फरवरी 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 136

महत्वपूर्ण एवं खास

तेज रफ्तार कार पलटी, महिला की मौत, पांच घायल

नोएडा (आरएनएस)। नोएडा में बीती देर रात हुए एक सडक़ दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई। इस घटना में कार सवार पांच अन्य लोग जो घायल हो गए। नोएडा के एडीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि नोएडा सेक्टर 24 थाना क्षेत्र के अंतर्गत भूमिका जादौन नाम की एक महिला की कार के डिवाइडर से टकराने से मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना में पांच अन्य घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल भेजा गया है। शव का पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बीती देर रात थाना सेक्टर 24 क्षेत्र के अंतर्गत गिझोड रेड लाइट के उपर एलिवेटेड रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इसमे सवार एक युवती भूमिका जादौन, निवासी ग्वालियर, उम्र 25, जो यूनिवो कंपनी में काम करती थी, की मृत्यु हो गई। उसके साथ कार में बैठे घायल रोबिन, प्रभाष, अर्पित, अभिषेक व श्वेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बेंगलुरु से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, 2 साल से कर रहा था अलकायदा के लिए काम-एनआईए ने धरा

बेंगलुरु (आरएनएस)। कर्नाटक से इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक संदिग्ध आतंकी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है जिसकी पहचान आरिफ के रूप में हुई है। बताया जाता है कि इंटरनेट के जरिए वह पिछले 2 साल से अलकायदा के संपर्क में था। मामले में एनआईए ने अपनी संदिग्ध आतंकी आरिफ पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक कंपनी में काम करता है। सूत्रों के अनुसार, वह इंटरनेट के जरिए आतंकियों से जुड़ा था। हालांकि, अभी तक किसी घटना में शामिल होने के सबूत नहीं मिले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, वह जल्द ही ईरान और अफगानिस्तान के लिए रवाना होने वाला था। यहां जाकर वह आतंकी संगठन आईकेपी से जुडऩे की तैयारी में था। हालांकि, इससे पहले ही एनआईए ने उसे बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया।

विधायक पति संग जेल में हर रोज 3-4 घंटे गुजारने वाली पत्नी गिरफ्तार, जेल अधीक्षक समेत पांच सस्पेंड

चित्रकूट (आरएनएस)। यहां जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी से मुलाकात करने पहुंचीं पत्नी निकहत अंसारी गिरफ्तार कर ली गई हैं। पति से चोरी छिपे निकहत की जेलर के पास वाले कमरे में मुलाकात कराई जा रही थी। इस मामले में डीजी जेल आनंद कुमार ने जेल अधीक्षक आनंद सागर, डिप्टी जेलर सुशील कुमार समेत पांच जेल वार्डन को सस्पेंड कर दिया है। अब उन्नाव जेलर को चित्रकूट का जेल अधीक्षक बनाया है। पुलिस के अनुसार, बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी मऊ सीट से विधायक है और चित्रकूट जेल में बंद है। सूचना मिली थी कि अब्बास की पत्नी निकहत बानो अपने ड्राइवर नियाज के साथ बीते कई दिनों से रोजाना करीब 11 बजे सुबह में जेल आती है और 3-4 घंटे अंदर बिताकर वापस चली जाती है। पुलिस ने तलाशी के दौरान महिला से मोबाइल और कैश समेत अवैध चीजें भी बरामद कीं, साथ ही इस मामले में अब्बास, निकहत और जेलर समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

500 विमान खरीदेगी एयर इंडिया , इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी डील

नई दिल्ली (आरएनएस)। जब से टाटा संस ने एयर इंडिया की कमान संभाली है, तभी से उसकी कोशिश इसकी सर्विस को बेहतर बनाने की है। इसी के चलते कंपनी एक या दो नहीं बल्कि 500 नए एयरक्राफ्ट खरीदने का ऑर्डर देने जा रही है। ये एविएशन इंडस्ट्री के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े एयरोप्लेन ऑर्डर में से एक है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह डील 100 बिलियन डॉलर की हो सकती है। डील के तहत एयर इंडिया फ्रांस की कंपनी एयरबस और अमेरिका की कंपनी बोइंग से ये विमान खरीदेगी। इस डील को लेकर कंपनी अगले हफ्ते तक आधिकारिक एलान कर सकती है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, एयर इंडिया, एयरबस से 250 विमान खरीदेगी, जिनमें से 210 सिंगल एस्ले ए320ओनेस और 40 वाइड बॉडी ए350एस विमान होंगे। वहीं बोइंग से खरीदे जाने वाले 220 विमानों में से 190 737 मैक्स नौरोबॉडी जेट्स होंगे और 20 787 वाइडबॉडी जेट्स और 10 777&एस विमान होंगे। हालांकि इन ऑर्डर में बदलाव भी हो सकता है। अभी तक एयरबस या एयर इंडिया की तरफ से इस डील की पुष्टि नहीं की गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीती 27 जनवरी को एयर इंडिया ने अपने स्टाफ को पत्र लिखकर नए एयरक्राफ्ट ऑर्डर करने की ऐतिहासिक डील के बारे में जानकारी दी थी। माना जा रहा है कि टाटा ग्रुप के पास वापस आने के बाद एयर इंडिया को आधुनिक बनाया जा रहा है ताकि अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों में अपने दबदबे को फिर से बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही इस डील के जरिए एयर इंडिया की खुद को फ्यूल एफिशिएंट बनाने की भी कोशिश है ताकि फ्यूल के खर्च को कम किया जा सके। बता दें कि अभी एयर इंडिया के बेड़े में अधिकतर विमान पुराने हैं। एयर इंडिया अपने विमान के नए बेड़े से एमिरेट्स और कतर एयरवेज जैसी बड़ी एयरलाइंस को चुनौती देने की तैयारी भी कर रही है।

कोरोना महामारी के बाद अब एयरलाइंस कंपनियां खुद को अपग्रेड करने में जुटी हैं। कोरोना पाबंदियों के हटने के बाद अब हवाई यात्रियों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। एयर इंडिया को खरीदे टाटा ग्रुप को एक साल का समय हो चुका है। ऐसे में टाटा ग्रुप की देखरेख में कंपनी बड़े बदलाव से गुजर रही है।

दिल्ली की अदालत ने एक्यूआईएस के चार सदस्यों को ठहराया दोषी

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा (एक्यूआईएस) के चार सदस्यों को आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रचने के आरोप में दोषी ठहराया। अदालत ने मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अब्दुल रहमान, जफर मसूद और अब्दुल सामी को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया है। इस बीच, दो संदिग्ध सैयद मोहम्मद जीशान अली और सबील अहमद को बरी कर दिया गया। 14 दिसंबर 2015 को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के संभल के रहने वाले आसिफ को गिरफ्तार किया, जो एक्यूआईएस का इंडिया हेड था। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, उसके खुलासे के आधार पर, जफर मसूद को 15 दिसंबर, 2015 को संभल से और मोहम्मद अब्दुल रहमान को 16 दिसंबर, 2015 को ओडिशा के कटक से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार, रहमान ने अवैध रूप से पाकिस्तान का दौरा किया था और वहां जकी-उर-रहमान लखवी और साजिद मीर सहित शीर्ष आतंकवादियों से मुलाकात की थी, दोनों 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों में वांछित थे। पुलिस ने कहा, जमशेदपुर (झारखंड) के रहने वाले अब्दुल सामी को 17 जनवरी, 2016 को मेवात से पकड़ा गया था। वह पाकिस्तान से प्रशिक्षित आतंकवादी था। जांच के दौरान सैयद मो. जीशान अली और सबील अहमद के नाम भी संयुक्त अरब अमीरात में एक्यूआईएस के कैडरों को वित्तीय और रसद सहायता प्रदान करने की साजिश के तहत सामने आए। अधिकारी ने कहा- अली को वर्ष 2017 में संयुक्त अरब अमीरात से निर्वासित किया गया था और इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, जबकि सबील अहमद को वर्ष 2020 में निर्वासित किया गया था। सबील को शुरू में दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे से एनआईए द्वारा बेंगलुरु (कर्नाटक) में एक आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में, उसे इस मामले में गिरफ्तार किया गया।

दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का एक्शन, सांसद का बेटा गिरफ्तार

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का एक्शन जारी है। ईडी ने आज एक और गिरफ्तारी की है। प्रवर्तन निदेशालय ने आंध्र प्रदेश में वाईएसआर सांसद मगुंता श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे मगुंता राघव को गिरफ्तार किया है। ईडी के अधिकारी ने खुद ये जानकारी दी है।

इससे पहले ईडी ने हैदराबाद से ही चैरियट एडवरटाइजिंग के राजेश जोशी को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 9 फरवरी को दिल्ली के शराब घोटाला मामले में चैरियट एडवरटाइजिंग के राजेश जोशी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। गोवा चुनाव के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। राजेश जोशी से पहले शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के बेटे गौतम मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई थी।

राजेश जोशी पर आरोप है कि उन्होंने आरोपी दिनेश अरोड़ा के जरिए गोवा चुनाव के लिए

अपनी विज्ञापन कंपनी रथ विज्ञापन के माध्यम से कथित रूप से 30 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे।

ईडी ने कथित शराब घोटाले की चार्जशीट में लिखा है कि इस केस की अब तक की जांच से पता चला है कि इन फंडों का हिस्सा गोवा विधानसभा चुनाव 2022 के लिए इस्तेमाल किया गया था। ईडी ने आगे कहा कि सर्वे टीमों का हिस्सा रहे वॉलिंटियर्स को 70 लाख रुपये का नकद भुगतान किया गया था।

गैर-आईएसआई प्रमाणित खिलौनों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए बीआईएस ने 100 तलाशी अभियान चलाए

नई दिल्ली (आरएनएस)। गैर-आईएसआई प्रमाणित खिलौनों की बिक्री पर अंकुश लगाने और खिलौनों की गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2021-22 और 2022-23 में 100 से अधिक तलाशी और जब्ती अभियान चलाए गए। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा चलाए गए तलाशी और जब्ती कार्यों के दौरान, वर्ष 2021-22 और 2022-23 (25 जनवरी, 2023 तक) के दौरान क्रमश: 9,565 और 30,229 की मात्रा जब्त की गई थी।

राज्यसभा में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक लिखित उत्तर के अनुसार, बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 16 के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा जारी खिलौने (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के अनुसार 1 जनवरी, 2021 से खिलौनों की सुरक्षा अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन के तहत है।

तदनुसार, खिलौनों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वह खिलौनों की सुरक्षा के लिए संबंधित भारतीय मानकों के अनुरूप हों और बीआईएस (अनुरूपता आकलन) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की योजना-1 के अनुसार बीआईएस से लाइसेंस के तहत भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) मानक चिह्न् धारण करें। इस गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अनुसार, बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 17 के साथ कहा गया है, कोई भी व्यक्ति आईएसआई मार्क के बिना किसी भी खिलौने का निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, किराया, लीज, स्टोर या बिक्री के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा।

बीआईएस उत्पाद प्रमाणन योजना के तहत, संबंधित भारतीय मानकों के अनुसार उत्पाद पर मानक चिह्न् का उपयोग करने के लिए विनिर्माण इकाइयों को लाइसेंस दिया जाता है। तदनुसार, भारत को खिलौने निर्यात करने वाली विदेशी विनिर्माण इकाइयों सहित खिलौना निर्माण इकाइयों को खिलौनों की सुरक्षा के लिए बीआईएस लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। मंत्रालय ने कहा कि बीआईएस ने घरेलू इकाइयों को 1,037 लाइसेंस और विदेशी खिलौना निर्माण इकाइयों को 30 लाइसेंस दिए हैं।

अपने उत्पाद प्रमाणन के हिस्से के रूप में, बीआईएस कारखाने और बाजार की निगरानी भी करता है, जिसके तहत आईएसआई चिह्न्ति खिलौनों के नमूने कारखानों और बाजार से लिए जाते हैं और भारतीय मानक के अनुसार प्रयोगशालाओं में परीक्षण किए जाते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध आईएसआई चिह्न्ति खिलौने सुरक्षित हैं और निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं।

तुर्की व सीरिया भूकंप में मरने वालों की संख्या 23,800 के पार

अंकारा । 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद लगातार छठे दिन शनिवार को भी बचाव कार्य जारी है। भूकंप में मरने वालों की संख्या अब तक 23,831 तक पहुंच गई है। तुर्की के आपदा और आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण (एएफएडी) ने अपने ताजा अपडेट में कहा कि देश में मरने वालों की संख्या 20,318 है। वहीं 80,052 लोग घायल हुए हैं।

कहारनमारस प्रांत में केंद्रित 7.7 और 7.6 तीव्रता के भूकंपों ने अदाना, अदियामन, दियारबाकिर, गाजियांटेप, हटे, किलिस, मालट्या, उस्मानिया और सनलिउर्फा प्रांतों में 13 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित किया।

सीरिया में मारे गए लोगों की संख्या 3,513 है।

स्वयंसेवी संगठन सीरिया सिविल डिफेंस के अनुसार, जिसे व्हाइट हेल्मेट्स

के रूप में भी जाना जाता है, देश के उत्तर-पश्चिम में विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्रों में 2,166 मौतें दर्ज की गईं।

इस बीच, सीरियाई राज्य मीडिया ने कहा है कि युद्धग्रस्त राष्ट्र के सरकार-नियंत्रित हिस्सों में 1,347 लोगों के मारे जाने की सूचना है।

उत्तरी और उत्तर पश्चिमी सीरिया में भूकंप प्रभावित विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्रों में तत्काल आपूर्ति की डिलीवरी विपक्षी समूहों और सीरियाई सरकार के बीच लंबे समय से चल रहे गृहयुद्ध से जटिल हो गई है।

तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने भूकंप प्रभावित आदियामन प्रांत में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, दुर्भाग्य से बहुत सारी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। हम जितनी जल्दी चाहते थे, उतनी तेजी से कार्रवाई नहीं कर पाए।

उन्होंने कहा कि आपातकालीन कार्य बहुत कठिन था, क्योंकि भूकंप का विनाशकारी प्रभाव 500 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। उन्होंने कहा कि कार्यों में ठंड एक और बाधा बन रही है।

एर्दोगन ने पहले स्वीकार किया था कि पहले दिन आपदा के बाद कार्रवाई करने में सरकार की कमियां थीं, लेकिन फिर स्थिति को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया गया।

लेकिन अब देश विदेशी आपातकालीन टीमों सहित 141,000 से अधिक कर्मचारियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी खोज और बचाव टीमों को इक_ा कर चुका है।

वे लोग जो टेंट में नहीं रहना चाहते, उनके लिए राष्ट्रपति ने एक साल के भीतर भूकंप प्रभावित क्षेत्र का पुनर्निर्माण करने और भूकंप के पीड़ितों के लिए एक वर्ष की किराये की सहायता प्रदान करने का फैसला लिया है।

एर्दोगन की सरकार को भूकंप पीड़ितों की आलोचना का सामना करना पड़ा है कि आपातकालीन मदद देर से शुरु की गई थी और 10 प्रांतों के भूकंप क्षेत्र में मानवीय सहायता पर्याप्त नहीं थी, जो लगभग 13.5 मिलियन लोगों का घर है।

एएफएडी के अनुसार, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों से 81,000 से अधिक लोगों को निकाला गया है।

भूकंप के 108 घंटे बाद प्रांत के अंताक्य जिले में एक इमारत के खंडहर से एक आठ साल के बच्चे को बचाने के बाद रिश्तेदारों और स्थानीय नागरिकों के आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिवकुमार को 24 फरवरी तक सीबीआई जांच से दी राहत

बेंगलुरू (आरएनएस)। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य कांग्रेस प्रमुख डी.के. शिवकुमार को

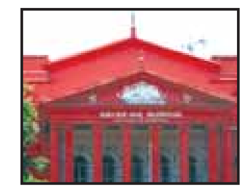

2013-2018 की अवधि के भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच से दो सप्ताह की राहत दी। उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार, भ्रष्टाचार के मामले में शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी गई है।

यह मामला 2013 और 2018 के बीच 74.93 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में शिवकुमार के खिलाफ दर्ज एक मामले से संबंधित है, जब वह कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में मंत्री के रूप में कार्यरत थे। न्यायमूर्ति के. नटराजन ने शिवकुमार की एक याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया। जिसमें कहा गया था कि उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को बार-बार सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था।

उनके वकील ने यह भी दावा किया कि सीबीआई ने हाल ही में अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नोटिस जारी किया था। पिछले साल जुलाई में, शिवकुमार ने सीबीआई द्वारा अक्टूबर 2020 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) और 13 (1) (ई) के तहत दर्ज प्राथमिकी की वैधता को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।

अडाणी विवाद : भारतीय रेगुलेटर अनुभवी, काबू कर लेंगें स्थिति : सीतारमण

नई दिल्ली (आरएनएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडाणी के शेयर को जारी विवाद पर आज कहा कि भारतीय नियामक बहुत अनुभवी हैं और स्थिति पर काबू पाने में सक्षम भी। सीतारमण ने आम बजट पेश किये जाने के बाद रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल की बैठक को संबोधित करने के बाद संवाददाताओं से एक सवाल के जबाव में कहा कि भारतीय नियामकों को अडाणी समूह से संबंधित मामले की जानकारी है और हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से उत्पन्न स्थिति को संभालने में सक्षम है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडाणी समूह पर लेखाकंन धोखाधड़ी, शेयर में हेराफेरी और मनी लांड्रिंग जैसे आरोप लगाये गये हैं। इसके बाद कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट हुयी थी जिससे समूह के अध्यक्ष गौतम अडाणी की संपत्ति में भारी गिरावट आयी है। कल उच्चतम न्यायालय ने पूंजी बाजार नियामक सेबी को इस पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि नयी कर व्यवस्था बजट की केन्द्र बिन्दुओं में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत एक सामान्य ढांचे के माध्यम से आभासी मुद्रा को विनियमित करने के लिए जी 20 देशों के साथ चर्चा कर रहा है। उन्होंने कहा कि आभासी मुद्रा में बहुत सारी तकनीक शामिल है।

इसमें 99 प्रतिशत तकनीक है।

उन्होंने एक अन्य सवाल के जबाव में कहा कि नयी कर प्रणाली को करदाताओं को राहत देने और लोगों के हाथों मे अधिक पैसा बचाने के उद्देश्य से संशोधित किया गया था। उन्होंने कहा कि नयी कर व्यवस्था में लोगों के लिए ज्यादा कटौती की गयी है ताकि उनके हाथ में ज्यादा पैसों की बचत हो। यह लोगों पर कर की बोझ को कम करता है।

कीमतें कम करने के लिए 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं की बिक्री करेगा केंद्र

नई दिल्ली (आरएनएस)। गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए, सरकार ने ओपन मार्केट डिस्पोजल स्कीम (ओएमएसएस) के तहत 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं को बेचने और राज्य सरकारों, केंद्रीय भंडार, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन (एनसीसीएफ), नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड), राज्य सहकारी समितियों/संघों आदि को बिक्री करने का फैसला किया है, ताकि गेहूं और आटा की कीमतों में कमी आ सके। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राज्यसभा

में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और बढ़ती खाद्य कीमतों को नियंत्रित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न कदम उठाती है।

इन कदमों में कीमतों को कम करने के लिए बफर से रिलीज, स्टॉक सीमा को लागू करना, जमाखोरी को रोकने के लिए संस्थाओं द्वारा घोषित स्टॉक की निगरानी और आयात शुल्क के युक्तिकरण, आयात कोटा में बदलाव, वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध आदि जैसे व्यापार नीति के साधनों में अपेक्षित बदलाव शामिल हैं। देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने भारतीय ड्यूरम गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए 13 मई, 2022 को गेहूं की निर्यात नीति को मुक्त से निषिद्ध श्रेणी में संशोधित किया और 12 जुलाई, 2022 से आटा (गेहूं) का निर्यात गेहूं के निर्यात पर अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की सिफारिश के अधीन है।

दालों की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को संतुलित करने के लिए तूर और उड़द के आयात को 31-03-2024 तक 'मुक्त श्रेणी' में रखा गया है और मसूर पर आयात शुल्क को घटाकर 31-03-2024 तक शून्य कर दिया गया है। तूर के संबंध में जमाखोरी और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत तुअर के स्टॉकहोल्डर्स द्वारा स्टॉक प्रकटीकरण को लागू करने और स्टॉक की निगरानी और सत्यापन करने के लिए एक निर्देश जारी किया है।

मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) बफर से चना और मूंग के स्टॉक कीमतों को कम करने के लिए लगातार बाजार में जारी किए जाते हैं और कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्यों को भी आपूर्ति की जाती है।